HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7977/2025

1. Praveen S/o Lalsingh, Aged About 30 Years, R/o Village Bahtana, Police Station Sadar Deeg District Deeg (Raj.)
2. Pratap S/o Lalsingh, Aged About 26 Years, R/o Village Bahtana, Police Station Sadar Deeg District Deeg (Raj.)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manish Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP with Mr. Shubham Kumar Sain AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/10/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि इस प्रकरण में राजकुमार द्वारा श्याम बिहारी के सिर पर चोट मारना बताया है, जो गंभीर प्रकृति की है और प्राणघातक है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पहुंचाई गई चोट किस जगह पहुंचाई गई है यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि चोट पहुंचाई भी है तो वह साधारण प्रकृति की है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 299 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण फरार चल रहे हैं, अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामदगी किया जाना शेष है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम है, साक्षीगण के बयानों में उनके द्वारा अपराध कारित किया जाना बताया गया है।

मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार व तत्पर हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के तथ्यों को इस स्तर पर गुणावगुणों पर विवेचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2025 को संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित रहें। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा संबंधित अनुसंधान अधिकारी व थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की स्थिति में उन्हें दिनांक 13.11.2025 तक गिरफ्तार नहीं किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी पेश करें।

पत्रावली 13.11.2025 को पुनः सूचीबद्ध की जाए।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /02